संख्या-153/2019/2580/26-3-2019-3(15)/2007टी0सी0-।

प्रेषक,

मनोज सिंह,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 24 जून, 2019

विषय: **शासनादेश दिनांक 21.12.2016 एवं दिनांक 22.12.2016 के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित पी0आई0एल0 संख्या-2129/2017 डा0 बी0आर0 अम्बेडकर ग्रन्थालय एवं जन कल्याण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 29.03.2017 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-14/2017/33रिट/26-3-2017-3(15)/2007 दिनांक 27.01.2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित पी0आई0एल0 संख्या-2129/2017 डा0 बी0आर0 अम्बेडकर ग्रन्थालय एवं जन कल्याण बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 24.01.2017 को पारित आदेशों के अनुपालन में शासनादेश संख्या-229/2016/436मंत्री/26-3-2016-3(1)/2016टी0सी0, दिनांक 21.12.2016 एवं शासनादेश संख्या-234/2016/297सी0एम0/26-3-2016-3(15)/2007, दिनांक 22.12.2016 को अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया गया था।

2- उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत जनहित याचिका में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 29.03.2017 (प्रतिलिपि संलग्न) को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया है:-

Respondents are directed to file counter affidavits within eight weeks from today. Liberty to the peritioner to apply to hearing of the petition immediately thereafter.

Applications for intervention to be heard as and when hearing of the writ petition takes place. It is open for all intervenors to file conuter affidavits, if they so desire and are advised, before the next date. In the event, any caste certificates are issued pursuant to the order impugned, those certificates shall be subject to the outcome of the writ petition.

It is open to the petitioner to add all such persons as party respondents, in whose favour caste certificates have been issued.

3- उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया जनहित याचिका संख्या-2129/2017 में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 29.03.2017 को पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, परीक्षणोपरान्त सुसंगत अभिलेखों के आधार पर नियमानुसार जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0सं0-153/2019/(1)2580 /26-3-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियुक्ति व कार्मिक/पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रदेश के मझवार जाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में सम्मिलित 17 जातियों (कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिन्द, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गोड़िया, माझी तथा मछुआ) के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
3. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की वे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए इस सम्बन्ध में यथावश्यक दिशा निर्देश निदेशक, सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.) लखनऊ को देने का कष्ट करें।
4. निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान भागीदारी भवन गोमती नगर लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित की वे श्री मनीष गोयल, अपर महाधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद से सम्पर्क स्थापित कर मा0 न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में तत्काल प्रति शपथ पत्र दाखिल किये जाने हेतु आवश्यक विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
5. श्री मनीष गोयल, अपर महाधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद।
6. निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति विकास उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. गार्डफाइल।

आज्ञा से

सतीश कुमार
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

Chief Justice's Court

Case :- PUBLIC INTEREST LITIGATION (PIL) No. - 2129 of 2017

Petitioner :- Dr. B.R. Ambedkar Granthalaya Evm Jan Kalyan
Respondent :- State Of U.P. And 2 Others
Counsel for Petitioner :- Rakesh Kumar Gupta,Anil Kumar Prajapati
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Antriksh Verma,Bibhuti Narayan Singh,Brahm Deo Dwivedi,J.S. Kashyap,Kanhaiyalal Bind,Manoj Kumar,Mohd. Aslam Khan,Naresh Chandra Nishad,P.K. Sinha,Ram Raj Prajapati,Sunil Kumar Tiwari,Vashishtha Tiwari

Hon'ble Dilip B. Bhosale,Chief Justice
Hon'ble Yashwant Varma,J.

Heard Mr. Rakesh Kumar Gupta, learned counsel for the petitioner.

Admit.

Respondents are directed to file counter affidavits within eight weeks from today. Liberty to the petitioner to apply for hearing of the petition immediately thereafter.

Applications for intervention to be heard as and when hearing of the writ petition takes place. It is open for all intervenors to file counter affidavits, if they so desire and are advised, before the next date. In the event, any caste certificates are issued pursuant to the order impugned, those certificates shall be subject to the outcome of the writ petition.

It is open to the petitioner to add all such persons as party respondents, in whose favour caste certificates have been issued.

Order Date :- 29.3.2017
VMA

(Yashwant Varma, J) (Dilip B Bhosale, CJ)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।